

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश -462023

Email ID- ucrs.dpi@mp.gov.in

क्रमांक / यूसीआर / सी / 85 / 2026 / 1837

भोपाल, दिनांक 17 / 09 / 2026

प्रति,

संचालक

कर्मचारी चयन मंडल मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय: सेवारत शिक्षकों हेतु ऑफलाइन पात्रता परीक्षा के संबंध में संलग्न सूचना पोर्टल पर प्रकाशित करने के संबंध में।

संदर्भ: मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1470 / 1516004 / 2026 / 20-1 दिनांक 15.09.2026

//

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा सेवारत शिक्षकों के लिए ऑफलाइन पात्रता परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल को अभिकरण घोषित किया गया है। इस क्रम में अनुरोध है कि पात्रता परीक्षा के आवेदन पूर्ववत् आपके माध्यम से ही दिनांक 05.10.2026 तक प्राप्त किये जाये। कृपया संलग्न सूचना पोर्टल पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त द्वारा आदेशित)



संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.,

भोपाल, दिनांक 17 / 09 / 2026

पृ. क्रमांक / यूसीआर / सी / 85 / 2026 / 1838

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव जनजातीय कार्यविभाग मंत्रालय,, भोपाल।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. आयुक्त जनजातीय कार्यविभाग मध्यप्रदेश भोपाल।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल।



संचालक

लोक शिक्षण, म.प्र.,

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश —462023

Email ID- ucrs.dpi@mp.gov.in

क्रमांक / यूसीआर/सी/85/पा.परी./प्रा.शि./2026/1839 दिनांक 17/09/2026

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए पात्रता
परीक्षा के संबंध में सूचना

///

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 1385/2025, 1386/2025 एवं अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के क्रम में सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के संबंध में निम्नानुसार सूचना जारी की जाती है:-

1. यह परीक्षा अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ऑफलाईन Mode में आयोजित की जायेगी।
2. प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक स्तर (सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3, प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/प्रयोगशाला शिक्षक) एवं माध्यमिक स्तर (उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक, संविदा शाला शिक्षक श्रेणी 2) के शिक्षक जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उन्हें इस परीक्षा में सम्मिलित होना है।
3. केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) उत्तीर्ण शिक्षकों को इस परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है।
4. अशासकीय विद्यालय के प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढाने वाले शिक्षक भी उक्त पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।
5. परीक्षा आवेदन पूर्ववत कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल के माध्यम से ही भरे जायेगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2026 रहेगी।
6. शिक्षक जिस जिले में कार्यरत है, उसे उसी जिला मुख्यालय का परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा। पांडुर्ना एवं मऊगंज के शिक्षक पूर्व जिलों में यथा छिंदवाडा एवं रीवा जिले के केन्द्र पर ही सम्मिलित हो सकेंगे।
7. किसी जिले में परीक्षार्थियों की संख्या अत्यंत कम होने की स्थिति में समीपवर्ती जिले/संभागीय स्तर पर परीक्षा केन्द्र आवंटन का अधिकार माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।



संचालक

लोक शिक्षण मध्यप्रदेश